जालौन पुलिस

दिनांक –24.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियोग में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 02-02 वर्ष कारावास एवं 13,000-13,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्तगण 1. मो0 नफीस 2. मो0 रिजवान 3. मो0 रिहान पुत्रगण यूसुफ निवासीगण मो0 नारोभास्कर कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन 4. दीपक पुत्र देवेन्द्र सिंह नि0 ग्राम तरसौर थाना सिरसाकलार जनपद द्वारा वादिया के साथ गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देना व तोड़फोड करने की घटना के सम्बन्ध में वादिया श्रीमती अनीता देवी पत्नी हवलदार भानूप्रकाश नि0मो0 चुर्खीवाल कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर थाना जालौन में मु0अ0सं0 33/21 धारा 379/427/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 23.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 एससीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा उपरोक्त चारों अभियुक्तगण को धारा 427/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससीएसटी एक्ट में दोषी पाते हुये प्रत्येक को 02-02 वर्ष का कारावास एवं 13,000-13,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।